प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 65/**2026** (अपील सूचना का अधिकार)
Prakash Paliwal Add: VP Hirawato ki Bhagal, Bhutala, Udaipur

..............**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 08/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329880868231176 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 19.01.2026 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध कराई गई सूचना से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 4279824068 दिनांक 09.03.2026 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/65/26/413-14 दिनांक 09.03.2026 से लिखा गया। परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा कोई प्रत्युत्तर अथवा सूचना आदिनांक तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 19.01.2026 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में ग्राम पंचायत भूताला द्वारा वर्ष 1981 में आबादी भूमि आराजी संख्या 363 के आवंटन से संबंधित संपूर्ण पत्रावली की सूचना चाही गई। अपीलार्थी के आवेदन में पत्रावली संख्या/आदेश क्रमांक अंकित नहीं होने के कारण लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। अपीलार्थी का कथन है कि उनके आवेदन में राजस्व ग्राम हिरावतों की भागल के खसरा/आराजी संख्या अंकित थे। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में संबंधित अभिलेख/पत्रावली की पहचान हेतु आवश्यक विवरण जैसे पत्रावली क्रमांक, आदेश क्रमांक, आवंटन आदेश की तिथि, अथवा अन्य विशिष्ट संदर्भ-स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किए गए हैं। केवल खसरा/आराजी संख्या का उल्लेख किया जाना, विशेषकर लगभग चार दशक पुराने अभिलेख (वर्ष 1981) के संदर्भ में, पर्याप्त नहीं माना जा सकता जिससे संबंधित पत्रावली का सटीक एवं सुनिश्चित रूप से खोज की जा सके। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी का दायित्व केवल वही सूचना उपलब्ध कराना है जो अभिलेखों में विद्यमान हो एवं जिसे उचित रूप से पहचाना जा सके। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अस्पष्ट, अपूर्ण अथवा सामान्य विवरण के आधार पर व्यापक, अनिश्चित एवं समय-साध्य खोज करे, विशेषकर जब अभिलेख अत्यंत पुराने हों। अपीलार्थी द्वारा मांगी गई

RajKaj Ref No.:
22091206
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.08 13:21:27 IST
Reason: Approved

सूचना पर्याप्त रूप से विशिष्ट एवं स्पष्ट न होने के कारण, लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न कराए जाने में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलार्थी यदि भविष्य में चाही गई सूचना के संबंध में स्पष्ट एवं विशिष्ट विवरण (जैसे आदेश क्रमांक, तिथि, संबंधित प्रकरण का संदर्भ आदि) प्रस्तुत करता है, तो वह अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नवीन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), उदयपुर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हो।

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर

Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.08 13:21:27 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22091206
M e-Sign